

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

:- सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष के निम्नांकित शिक्षा अधिकारी को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प. 12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत, उनके/सम्बन्धित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख वर्णित (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है।

S.No.	Name of Principal	Posting Palace	District	D.O.B. (dd/mm/yy)	DATE OF RETIREMENT (DD/MM/YY)
1	2	3	4	5	6
1	श्री हनुमान लाल नायक प्रधानाध्यापक-मावि	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेटा, दूदू, जयपुर।	जयपुर	01-01-1962	31-12-2021

उल्लिखित प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/सेवानिवृत्तियां-प्र.अ/2021-22/ दिनांक 28 जून 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, जयपुर।
- 02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा(मुख्यालय)जयपुर/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि संलग्न सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 04 सम्बन्धित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 05 सिस्टम एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालया हाजा को आदेश की प्रति सहित, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
- 07 रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)